न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 64/2018

1 जितेन्द्र कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सांवरमल पुत्र लिछमणराम।
2 चुन्नीलाल पुत्र लिछमणराम।
3 भगवानाराम पुत्र लिछमणराम समस्त जाति जाट निवासीगण सालम सिंह की ढ़ाणी तन चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर।
4 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा मूण्डवाड़ा तहसील धोद जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बजाज ग्राम सांवली जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
6 उप पंजियक पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
7 पटवारी पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
8 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.ए. विरूद्व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री भावना गर्ग आर.ए.एस दावा संख्या 68/2017 बउनवानी सांवरमल बनाम चुन्नीलाल दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 65/2018

1 जितेन्द्र कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी माण्डोता तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सांवरमल पुत्र लिछमणराम।
2 चुन्नीलाल पुत्र लिछमणराम।
3 भगवानाराम पुत्र लिछमणराम समस्त जाति जाट निवासीगण सालम सिंह की ढ़ाणी तन चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर।
4 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बजाज ग्राम सांवली जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 उप पंजियक पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
6 पटवारी पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील धोद जिला सीकर।
7 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.ए. विरूद्व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री भावना गर्ग आर.ए.एस दावा संख्या 64/2017 बउनवानी जितेन्द्र कुमार बनाम सांवरमल दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र कुमार फगेड़िया, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.12.2021

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 68/2017 एवं 64/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कदमा का बास पटवार हल्का पुरा बड़ी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दूजोज तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94/328 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.9674 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.47 हैक्टेयर, कुल किता 7 कुल रकबा 5.22 हैक्टेयर अवस्थित है। इस कृषि भूमि अपीलांट 1/4 हिस्से का, रेस्पोडेंट संख्या 1,1/4 हिस्से का रेस्पोडेंट संख्या 2,1/4 हिस्से का तथा रेस्पोडेंट संख्या 3,1/4 हिस्सा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज हे। जिनमें से अपीलांट पूर्व खातेदार दुर्गादेवी के फुटस्टेप पर खसरा नम्बर 94,95 में से पश्चिमी तरफ की 1.31 हैक्टेयर भूमि आपसी सहमती से काश्त करता है। परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 आपस में सगे भाई हे। जिन्होने अपीलांट के विरूद्व एक गिरोह सा बना लिया एवं अच्छी–अच्छी भूमियों पर अनाधिकृत कब्जा करने पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आमादा हो गये एवं खसरा नम्बर 94 व 95 मे से पश्चिमी तरफ की 1.31 हैक्टेयर भूमि आपसी सहमती से राजीनामा अपीलांट को विभाजन में अलग करवा कर अलग खातेदारी दर्ज करवाने से दिनांक 16.12.2017 को इनकार होकर बिना बंटवारा करवाये विशिष्ट भाग का बेचान करने व अपीलांट को उसके हिस्सा से वंचित करने पर आमादा हो गये तब अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.12.2017 को विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया तथा उसी दिनांक को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने भी अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट को प्रतिवादी पक्षकार बनाकर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलांट की तामील होने पर दिनांक 27.02.2018 को वकालतनामा प्रस्तुत किया। अन्य प्रतिवादीगण की तामील नही होने पर पत्रावली को शेष की तलबी एवं अपीलांट के जवाब हेतु दिनांक 20.03.2018 पेशी नियत की उसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री हरदयाल सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 15.05. 2018 को जवाब एवं शेष की तलबी हेतु नियत की गई उसके पश्चात तारिख पेशी के रजिस्टर में सभी पत्रावलियों में तारिख पेशियां दिनांक 08.08.2018 नियत की गई थी परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया के दिनांक 25.05.2018 की तारिख पेशी नियत करवा कर अपीलांट के विरूद्व प्राथमिक डिक्री जारी करवाना, अपीलांट को दिनांक 14.06.2018 को ज्ञात हुआ तब अपीलांट ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व आदेशिका की नकल प्राप्त की जिसमें आरबीट्रेरी प्राथमिक डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद दोनो दावो मे पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली पेश होने के उपरान्त प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाब हेतु नियत चल रही थी। इसी दौरान विचारण न्यायालय ने बिना तलबी पूर्ण करवाये, बिना प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त किये, बिना तनकीयात

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कायम किये, बिना उभयपक्ष की साक्ष्य लिये सीधे ही विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्व होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारो के मध्य दिनांक 13.02.2003 को नोटेरी लिखा पढ़ी कर बाहमी विभाजन हो चुका था। पक्षकारो के मध्य दिनांक 16.09.2014 को विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 27.04.2017 को खारिज करवा लिया था। अपीलांट विक्रय पत्र से खातेदार दर्ज हुये है। अपीलांट केता के फुट स्टेप पर पूर्व की बंटवारे की लिखा पढ़ी के अनुसार भूमि प्राप्त कर सकते है। बाहमी बंटवारे अनुसार विभाजन प्रस्ताव पर इनको कोई ऐतराज नही होना चाहिए। अपीलांट के पास विभाजन प्रस्ताव आने पर आपत्ति प्रस्तुत करने का विकल्प भी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नही है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली पेश होने के उपरान्त प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाब हेतु नियत चल रही थी। इसी दौरान विचारण न्यायालय ने बिना तलबी पूर्ण करवाये, बिना प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त किये, बिना तनकीयात कायम किये, बिना उभयपक्ष की साक्ष्य लिये सीधे ही विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्व होने से विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया की पालना कर जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किये जाते है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर